9/2/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब वादी/अप्रार्थी द्वारा न प्रस्तुत किए जाने के कारण जबाब बन्द कर बहस एकपक्षीय सुनने का निवेदन किया।

तीन महीने से अधिक का समय गुजरने के बावजूद वादी/अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R11 का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः वकील प्रतिवादी/प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर एतद्द्वारा वादी/अप्रार्थी का जबाब प्रा. पत्र 07 R11 बन्द किया जाता है।

वकील प्रतिवादी/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि चक 21 MD के मु.नं. 22/1 की जिस भूमि के संबंध में प्रार्थिया द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, वह भूमि प्रार्थिया ने अपने वाद पत्र में मुख्त्यारनामा के आधार पर प्यारासिंह द्वारा दिनांक 10.04.2006 को तहरीर कर पंजीबद्ध करवाए गए बैयनामा के आधार पर स्वयं के पक्ष में इंतकाल दर्ज होना बताया है। |
| | वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R11 में यथाउल्लिखित एवं फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 31.10.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा जिस बैयनामे के आधार पर स्वयं के नाम से इंतकाल दर्ज करवाया गया है एवं भूमि में अधिकार प्राप्त किए है, उस बैयनामा दिनांक 10.04.2006 को मा.न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.18 द्वारा आरम्भ से प्रभाव शून्य व प्रभावहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया है अतः उक्त बैयनामा से प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में वाद पत्र के जरिए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। |
| | -: आदेश :- |
| | अतः न्यायालय की राय में उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण हस्तगत वादपत्र को नामंजूर किया जाता है। |
| | पत्रावली [illegible] नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। |
| | फैसला सरे इजलास सुनाया गया। |
| | 1/2/21 (पवन कुमार) न्यायिक अधिकारी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner